

12/07/22

आव पतावली पेश हुई। प्राची एवं वकील प्राची
उपस्थित आई। चूंकि आव प्राची का मूलवाद
नोर प्रेस में स्वीकृत हो चुका है। जब इस
पतावली का कोई जोचिल्य नहीं रह गया है।
अतः प्राची का प्राप्त 212 RAN भी नोर प्रेस में
स्वीकृत किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन
आदेश निरस्त किये जाते हैं। पतावली के सबशुमार -

Not over

राजि

में एक दावा
जिसे पतावली
पढ़ें।

लेखक
[Signature]

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
जारी हुए

हीकर मन्बर से कम ही। बाकं तकमील
संपन्न मूल बाकं रहे। सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०